न्यायालय सहायक कलक्टर कैम्प मर्ई जोबनेर

| तारीख हुक्म | राजस्व मण्डल जयपुर बेंच विटरशा नि पत्रि जयपुर<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>दावा 188 प्र.सं. 42/2017 | नम्बर अहकाम हुक्म में |
|---|---|---|
| 18-6-18 | पत्रावली राजस्व मण्डल अदालत कैम्प मर्ई जोबनेर में पेश हुई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी के कैम्प मर्ई में तुलसीराम वादी ने कहा कि विवाद में वर्णित बिजली की लाईन तीन पर खींच दी गई है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद लाई लिमिटेड द्वारा लाईन मरने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। पक्षकार हकदार हैं। उभय पक्ष को हुआ फैसला सुनाया गया। से मर्जी है वक्त बाद तामील प्रविष्ट नस्ल हो। निर्णय राजस्व मण्डल अदालत कैम्प मर्ई जोबनेर के मार्फत आज मैं लिखवाया जाकर सुनाया गया। | |

न्यायालय सहायक कलक्टर कैम्प मर्ई जोबनेर 2018